



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, सोमवार, 26 अक्टूबर, 2020

कार्तिक 4, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन
राज्य कर अनुभाग-2

संख्या-1248 / ग्यारह-2-20-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(153)-2020

लखनऊ, 26 अक्टूबर, 2020

अधिसूचना

प0आ0-284

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों पर, एतद्द्वारा उन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को जिन्हें उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर नियमावली, 2017 के नियम 48 के उप-नियम (4) के अधीन विनिर्दिष्ट तरीके से कर बीजक तैयार करना अपेक्षित है, जिन्होंने उक्त तरीके के अलावा अन्य तरीके से कर बीजक तैयार किया है, ऐसे व्यक्तियों के वर्ग के रूप में अधिसूचित करती है जो 1 अक्टूबर, 2020 से 31 अक्टूबर, 2020 की अवधि के दौरान विशेष प्रक्रिया का पालन करेंगे, उक्त व्यक्ति ऐसे बीजक की तारीख से तीस दिनों के भीतर, सामान्य माल एवं सेवा कर इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल पर प्ररूप जीएसटीआईएनवी-01 में विनिर्दिष्ट विवरण अपलोड करके ऐसे बीजक के लिए एक बीजक संदर्भ संख्या (आई आर एन) प्राप्त करेंगे, जिसमें विफल होने पर उक्त बीजक मान्य नहीं माना जाएगा।

आज्ञा से,
आलोक सिन्हा,
अपर मुख्य सचिव।

In pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no.-1248/XI-2-20-9(47)-17-U.P. Act-1-2017-Order-(153)-2020, dated October 26, 2020:

No.-1248/XI-2-20-9(47)-17-U.P. Act-1-2017-Order-(153)-2020

Dated Lucknow, October 26, 2020

In exercise of the powers conferred by section 148 of the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (U.P. Act no. 1 of 2017), the Governor, on the recommendations of the Council, hereby notifies the registered persons required to prepare the tax invoice in the manner specified under sub-rule (4) of rule 48 of the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017, who have prepared tax invoice in a manner other than the said manner, as the class of persons who shall, during the period from the 1st day of October, 2020 to the 31st day of October, 2020, follow the special procedure such that the said persons shall obtain an Invoice Reference Number (IRN) for such invoice by uploading specified particulars in FORM GST INV-01 on the Common Goods and Services Tax Electronic Portal, within thirty days from the date of such invoice, failing which the same shall not be treated as an invoice.

By order,
ALOK SINHA,
Apar Mukhya Sachiv.

पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 343 राजपत्र-2020-(806)-599 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 54 सा0 राज्य कर-2020-(807)-1000 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)।